



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 144 राँची, गुरुवार,

31 मार्च, 2022 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ।

अधिसूचना

31 मार्च, 2022

संख्या:-01/नीति-05-05/2022- 651/ झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (अधिनियम-II, 1915) की धारा 89 सह-पठित धारा 38 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब की अनुज्ञप्तियों के संचालन एवं शुल्कों के संबंध में “झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली, 2022” का गठन करती है, जो निम्नवत है:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ एवं परिभाषा-**

- यह नियमावली “झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली, 2022” कही जायेगी।
- इस नियमावली का विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा।
- यह नियमावली विभाग द्वारा अधिसूचना निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएं-

- (i) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, 'झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915';
- (ii) "राज्य" से अभिप्रेत है, 'झारखंड राज्य';
- (iii) "विभाग" से अभिप्रेत है, 'उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड';
- (iv) "कॉरपोरेशन" से अभिप्रेत है, झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लि0;
- (v) "खुदरा विक्रेता" से अभिप्रेत है, विभाग द्वारा अधिसूचित विभिन्न नियमावली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को मदिरा की सीलबंद बोतलों की खुदरा बिक्री के लिए विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदत्त अनुज्ञप्तिधारी/JSBCL के खुदरा दुकान;
- (vi) "मदिरा" से अभिप्रेत है, झारखण्ड उत्पाद अधिनियम 1915 की धारा-2(14) में यथा परिभाषित पेय;
- (vii) "ब्राण्ड" से अभिप्रेत है, झारखण्ड के विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित अपने व्यापार चिन्ह एवं नाम की मदिरा के विभिन्न प्रकार यथा व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जीन, वोदका, बीयर, वाइन एवं अन्य शराब, जिन्हें अनुज्ञप्ति प्राप्त थोक विक्रेताओं के माध्यम से खुदरा मदिरा विक्रेताओं को बिक्री/उपभोग के लिए उपलब्ध कराया जायेगा;
- (viii) "भारत निर्मित विदेशी शराब" से अभिप्रेत है, भारत में बनायी हुई विदेशी शराब, जिसमें व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जीन, वोदका, बीयर, लो स्ट्रेंथ अल्कोहलिक बिबरेज (LAB) एवं वाइन इत्यादि सम्मिलित है;
- (ix) "आयातित विदेशी शराब (मूल में बोतलबंद)" से अभिप्रेत है, "झारखंड उत्पाद (भारत में आयातित विदेशी शराब (मूल में बोतलबंद) के आयात, निर्यात, परिवहन, वितरकता एवं थोक बिक्री से संबंधित) नियमावली, 2012" में यथा परिभाषित;
- (x) "न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (MGQ)" से अभिप्रेत है, अनुज्ञाधारी द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान बार परिसर में उपभोग हेतु उठाव की गई मदिरा की न्यूनतम मात्रा
- (xi) "अनुज्ञप्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, जिला के समाहर्ता/उपायुक्त;
- (xii) "अनुज्ञप्ति स्वीकृति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, आयुक्त उत्पाद;
- (xiii) "वर्ष" से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष अर्थात् किसी भी कैलेंडर वर्ष के 01ली अप्रैल से प्रारम्भ होकर अगले कैलेंडर वर्ष के 31 (इकत्तीस) मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष;

नोट:- इस नियमावली में प्रयुक्त अन्य शब्द जो इस नियमावली में परिभाषित नहीं हैं का तात्पर्य वही होगा, जो झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 एवं उसके अन्तर्गत बनाई गई अन्य नियमावली में है।

3. अनुज्ञप्ति के प्रकार:-

इस नियमावली के तहत निम्न प्रकार के अनुज्ञप्ति प्रदान किये जायेंगे:-

- (i) होटल, रेस्तराँ एवं बार की अनुज्ञप्ति (झारखण्ड उत्पाद अधिनियम 1915, प्रपत्र-8, 9 एवं 10)
- (ii) क्लब की अनुज्ञप्ति (झारखण्ड उत्पाद अधिनियम 1915, प्रपत्र-7'क')
- (iii) अस्थायी बार (Occasional Bar) की अनुज्ञप्ति

4. न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (MGQ) -

संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रत्येक होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के अनुज्ञाधारियों हेतु मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा निर्धारित किया जायेगा।

- (i) वर्तमान में कार्यरत रेस्तराँ एवं बार (उत्पाद प्रपत्र-9 एवं 10), होटल, रेस्तराँ एवं बार (उत्पाद प्रपत्र-8, 9 एवं 10) तथा क्लब (उत्पाद प्रपत्र-7 'क') अनुज्ञप्ति के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का निर्धारण किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी के MGQ का निर्धारण संबंधित होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब में विगत वित्तीय वर्ष के उठाव के अनुरूप संग्रहित उत्पाद कर में वृद्धि करते हुए जिला के उपायुक्त द्वारा सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के अनुशंसा पर किया जायेगा। नियमावली लागू होने के प्रथम वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वृद्धि दर 15% निर्धारित किया जाता है। उसके बाद के वित्तीय वर्ष के लिए जिला के उपायुक्त द्वारा माह फरवरी तक में भेजे गये न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर आयुक्त उत्पाद द्वारा संबंधित उपरोक्त इकाईयों का MGQ निर्धारित किया जायेगा।
- (ii) यदि वित्तीय वर्ष के मध्य में होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब की अनुज्ञप्ति निर्गत की जाती है तो वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का निर्धारण जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद की अनुशंसा पर जिला के उपायुक्त द्वारा मासिक अनुपात में किया जायेगा।
- (iii) उत्पाद प्रपत्र-9 एवं 10 (रेस्तराँ एवं बार), उत्पाद प्रपत्र-8, 9 एवं 10 (होटल, रेस्तराँ एवं बार) एवं उत्पाद प्रपत्र-7'क' (क्लब) अनुज्ञप्तिधारियों के लिए निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का माहवार उठाव निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

क्र०	माह का नाम	माह हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व
		भारत निर्मित विदेशी मदिरा/ विदेश निर्मित विदेशी मदिरा
1	2	3
1	अप्रैल	वार्षिक मात्रा का 9%
2	मई	वार्षिक मात्रा का 9%
3	जून	वार्षिक मात्रा का 9%
4	जुलाई	वार्षिक मात्रा का 6%
5	अगस्त	वार्षिक मात्रा का 6%
6	सितम्बर	वार्षिक मात्रा का 7%
7	अक्टूबर	वार्षिक मात्रा का 9%
8	नवम्बर	वार्षिक मात्रा का 9%

9	दिसम्बर	वार्षिक मात्रा का 9%
10	जनवरी	वार्षिक मात्रा का 9%
11	फरवरी	वार्षिक मात्रा का 9%
12	मार्च	वार्षिक मात्रा का 9%

माहवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के समतुल्य मदिरा का उठाव अनुज्ञाधारी को करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा माहवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के समतुल्य मदिरा का उठाव नहीं कर पाने की स्थिति में संबंधित माह के राजस्व क्षति के समतुल्य राजस्व कोषागार में माह के अंतिम कार्य दिवस को जमा करना होगा। यदि माह के अंतिम कार्य दिवस राजपत्रित/बैंक अवकाश हो तो उसके अगले कार्य दिवस को उक्त राशि जमा करना होगा। जिसकी माहवार गणना संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा की जायेगी। उक्त कार्य दिवस को राजस्व क्षति के समतुल्य राशि जमा नहीं करने पर विलम्ब होने की स्थिति में शेष राजस्व की राशि पर प्रति दिन 5% की दर पर विलम्ब शुल्क की राशि परिगणित कर वसूल की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उत्पाद राजस्व क्षति के समतुल्य राजस्व को कोषागार में जमा नहीं करने की स्थिति में देय राजस्व क्षति एवं विलम्ब शुल्क को उनके द्वारा जमा जमानत राशि से समायोजित कर ली जायेगी। राजस्व क्षति एवं विलम्ब शुल्क की राशि उनके द्वारा जमा जमानत राशि से अधिक होने पर जिला के उपायुक्त, सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद की अनुशंसा पर संबंधित होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब की अनुज्ञप्ति के विखंडन की कार्यवाही करेंगे तथा उनके द्वारा जमा जमानत राशि को समायोजित/जप्त कर लिया जायेगा।

- (iv) तीन सितारा एवं उससे ऊपर के स्तर के होटलों के लिए मदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का प्रावधान लागू नहीं होगा। होटल के तीन सितारा एवं उसके ऊपर के स्तर के होटलों के सितारा का निर्धारण पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के होटल एण्ड रेस्टोरेंट अप्रूवल एण्ड क्लासिफिकेशन समिति (HRACC) के द्वारा जारी किये गये स्टार प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जायेगा।
 - (v) गैर वाणिज्यिक क्लब के लिए मदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का प्रावधान लागू नहीं होगा।
 - (vi) नियमावली लागू होने के प्रथम वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत नये उत्पाद प्रपत्र 9 एवं 10 (रेस्तराँ एवं बार), उत्पाद प्रपत्र 8, 9 एवं 10 (होटल, रेस्तराँ एवं बार) तथा उत्पाद प्रपत्र 7'क' (क्लब) अनुज्ञप्तिधारी इकाईयों के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का निर्धारण संबंधित जिला के उपायुक्त (अनुज्ञप्ति प्राधिकार) स्तर से किया जायेगा।
5. उत्पाद प्रपत्र- 9 एवं 10 (रेस्तराँ एवं बार), उत्पाद प्रपत्र- 8, 9 एवं 10 (होटल, रेस्तराँ एवं बार), उत्पाद प्रपत्र- 7'क' (क्लब) को खुदरा उत्पाद दुकान से विदेशी मदिरा प्राप्त करने हेतु चिन्हित किया जाना एवं पारक निर्गत की विधि:-
- (i) जिलान्तर्गत होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब की प्रत्येक अनुज्ञप्तियों के अनुज्ञाधारियों के लिए मदिरा का क्रय करने हेतु जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों को

चिन्हित किया जायेगा। होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के सामान्यतः 5 किलोमीटर या अपरिहार्यता में अधिकतम 10 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित खुदरा उत्पाद दुकानों को चिन्हित किया जायेगा। केवल चिन्हित दुकानों से ही जिलान्तर्गत होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के अनुज्ञप्तिधारियों को मदिरा की आपूर्ति पारक के आधार पर की जायेगी, जिसकी स्वीकृति जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद द्वारा किया जायेगा।

- (ii) उत्पाद प्रपत्र-9 एवं 10 (रेस्तराँ एवं बार), उत्पाद प्रपत्र-8, 9 एवं 10 (होटल, रेस्तराँ एवं बार), एवं उत्पाद प्रपत्र-7'क' (क्लब) अनुज्ञप्तिधारी इकाई को मदिरा का उठाव/प्राप्ति चिन्हित खुदरा उत्पाद दुकानों के अन्यत्र किसी अन्य खुदरा उत्पाद दुकान/इकाई से करना वर्जित होगा। ऐसा करने पर उनके उत्पाद अनुज्ञप्ति को विखंडित करने की कार्रवाई की जायेगी।
- (iii) होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा मदिरा आपूर्ति हेतु जिला उत्पाद कार्यालय में Online आवेदन समर्पित किया जायेगा। Online प्राप्त आवेदन पर उपकंडिका-(i) के प्रावधानानुसार पारक निर्गत किया जायेगा।

6. अनुज्ञप्ति शुल्क एवं जमानत की राशि:-

- (i) होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब की अनुज्ञप्तियों हेतु देय अनुज्ञप्ति शुल्क, जमानत की राशि एवं अनुज्ञप्तियों की कार्यावधि निम्नरूपेण निर्धारित की जाती है :-

क्र०	क्षेत्र/अनुज्ञप्ति का नाम	होटल, रेस्तराँ एवं बार का वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क (उत्पाद प्रपत्र 8, 9 एवं 10) प्रति वित्तीय वर्ष	क्लब का वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क (उत्पाद प्रपत्र-7) प्रति वित्तीय वर्ष	होटल, बार, रेस्तराँ एवं क्लब के द्वारा जमा किया जाने वाला जमानत की राशि (Security Deposit)	संचालन अवधि
1	झारखण्ड राज्य अवस्थित 5 Star Hotel	15 लाख (पंद्रह लाख रुपये)	-	6 लाख (छः लाख रुपये)	प्रातः 10 बजे से रात्रि 1 बजे तक
2	झारखण्ड राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्र एवं बोकारो स्टील सिटी तथा जमशेदपुर शहरी क्षेत्र	9 लाख (नौ लाख रुपये)	9 लाख (नौ लाख रुपये)	5 लाख (पाँच लाख रुपये)	10 बजे से रात्रि 12 बजे तक
3	झारखण्ड राज्य के नगर परिषद क्षेत्र	7.20 लाख (सात लाख बीस हजार रुपये)	7.20 लाख (सात लाख बीस हजार रुपये)	4 लाख (चार लाख रुपये)	10 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक
4	झारखण्ड राज्य नगर पंचायत क्षेत्र	6 लाख (छः लाख रुपये)	6 लाख (छः लाख रुपये)	3 लाख (तीन लाख रुपये)	10 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक

					तक
5	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र	3.60 लाख (तीन लाख साठ हजार रुपये)	3.60 लाख (तीन लाख साठ हजार रुपये)	2 लाख (दो लाख रुपये)	10 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक

- (ii) होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब अनुज्ञप्तियों का संचालन निम्नलिखित नियमों के तहत किया जाना प्रस्तावित है -
- (क) होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क अग्रिम रूप से एकमुश्त लिया जायेगा, परंतु वित्तीय वर्ष के मध्य में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की अनुज्ञप्ति प्राप्त की जाती है, तो वित्तीय वर्ष की उस तिमाही से शेष बचे हुए वित्तीय वर्ष के लिए, अनुज्ञप्ति शुल्क, समानुपातिक रूप से एकमुश्त अग्रिम देय होगा। उदाहरणस्वरूप- अनुज्ञप्ति शुल्क यदि द्वितीय तिमाही में स्वीकृत की जाती है, तो तीन तिमाही के समानुपातिक अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा। प्रथम तिमाही में अनुज्ञप्ति लेने पर पूरे वर्ष का अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा।
- (ख) किसी तिथि विशेष को निर्धारित समयावधि के बाद मदिरा परोसे जाने के लिए ₹0 10,000/- (दस हजार रुपये) प्रति घंटे की दर से अतिरिक्त अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली की जायेगी। तदुपरांत उस तिथि को निर्धारित समयावधि के बाद मदिरा परोसी जाने की अनुमति अनुज्ञप्ति पदाधिकारी के द्वारा दी जा सकेगी।
- (ग) होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब में सामान्यतः मदिरा परोसे जाने का एक ही काउन्टर अनुमोदित किया जायेगा, परंतु यदि अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर में एक से अधिक काउन्टर पर मदिरा परोसे जाने की अनुमति चाहता है, तो अनुज्ञप्ति पदाधिकारी उस अतिरिक्त बार काउन्टर के लिए वित्तीय वर्ष/वर्ष के भाग के लिए ₹0 1,00,000/- (एक लाख रुपये) अतिरिक्त अनुज्ञप्ति शुल्क प्राप्त करेगा। यह बाध्यता 5 (पाँच) सितारा होटलों में अतिरिक्त बार काउन्टर खोलने के लिए लागू नहीं होगी।
- (घ) होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब में भारत निर्मित विदेशी शराब यथा विहस्की, ब्रांडी, रम, जिन, वोडका इत्यादि की 750ML एवं उससे ऊपर माप की मदिरा के बोतलों की ही आपूर्ति की जायेगी। अनुज्ञाधारी इन बोतलों में से ग्राहकों को पेग में मदिरा परोसेगा। स्काँच की 60ml या न्यून साइज की बोतलों को भी अनुज्ञाधारी रख सकेगा एवं ग्राहकों की मांग के अनुरूप परोसेगा। भारत में आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) के सभी पैक साइज के बोतलों की आपूर्ति बार में की जायेगी तथा इनका उपभोग बार परिसर में ही करना होगा।

(इ) केन्द्र एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के क्लब, पर्यटन विभाग के द्वारा संचालित रिसोर्ट, होटल, स्टेट गेस्ट हाउस इत्यादि में अवस्थित बार, जो गैर वाणिज्यिक (लाभ नहीं अर्जित करने) उद्देश्य से संचालित किये जायेंगे, के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क, 2 (दो) लाख रुपये प्रति वित्तीय वर्ष निर्धारित किया जायेगा।

(च) महामारी या आपदा संक्रमण काल में उपरोक्त अनुज्ञप्तिधारी प्रतिष्ठानों का संचालन अवधि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश या आदेश से अच्छादित होगा।

7. **अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया:-** उपरोक्त नये अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित जिला में किया जायेगा। संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा निर्धारित SOP के अनुरूप दस्तावेजों की जाँच करते हुये संबंधित जिला के उपायुक्त (अनुज्ञप्ति प्राधिकार) के माध्यम से आयुक्त उत्पाद (अनुज्ञप्ति स्वीकृति प्राधिकार) को अनुशंसा अग्रसारित करेंगे। आयुक्त उत्पाद प्राप्त दस्तावेजों के समीक्षोपरान्त अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान करते हुये अनुमोदित आवेदन संबंधित जिला के उपायुक्त को प्रेषित करेंगे। तदोपरांत जिला के उपायुक्त (अनुज्ञप्ति प्राधिकार) द्वारा निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क एवं अग्रिम जमानत राशि प्राप्त कर अनुज्ञप्ति निर्गत किया जायेगा।

8. **अनुज्ञप्तियों का नवीकरण:-**

- (i) अनुज्ञप्तियों का नवीकरण जिला के उपायुक्त द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम तिथि के पूर्व किया जायेगा।
- (ii) अनुज्ञाधारियों द्वारा अनुज्ञप्तियों के नवीकरण हेतु अभ्यावेदन/आवेदन चालू वित्तीय वर्ष के फरवरी माह के प्रथम सप्ताह तक जमा कर दिया जायेगा।
- (iii) 31 मार्च तक अनुज्ञाधारियों द्वारा अनुज्ञप्तियों का नवीकरण नहीं कराने की स्थिति में अनुज्ञप्तियाँ निरस्त मानी जायेगी।
- (iv) निरस्त अनुज्ञप्ति परिसर में संचयित स्कंध का सत्यापन जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा करते हुए उक्त स्कंध को चिन्हित खुदरा उत्पाद दुकानों में स्थानान्तरण कराया जायेगा।

9. **अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित मापदण्ड:-**

(1) **रेस्तराँ एवं बार के अनुज्ञप्ति स्वीकृति/नवीकरण हेतु निर्धारित मापदण्ड-**

(A) उत्पाद प्रपत्र-9 एवं 10 (रेस्तराँ एवं बार) अनुज्ञप्ति के लिए मापदण्ड:-

- (i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रदत्त न्याय निदेश से अच्छादित नहीं होना चाहिए।

- (ii) प्रस्तावित स्थल में रेस्तराँ एवं बार का स्थान पृथक-पृथक निर्धारित होना चाहिए।
- (iii) प्रस्तावित स्थल में बार काउंटर, मदिरा के भंडार कक्ष, महिला एवं पुरुष के लिए पृथक-पृथक शौचालय निर्धारित होना चाहिए।
- (iv) प्रस्तावित प्रतिष्ठान को FSSAI द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदत्त होना चाहिए।
- (v) प्रस्तावित प्रतिष्ठान पर्यटन विभाग के निर्धारित मापदंड के अनुरूप होना चाहिए।
- (vi) प्रस्तावित प्रतिष्ठान में शुद्ध जल की व्यवस्था होनी चाहिए।
- (vii) प्रस्तावित प्रतिष्ठान में किचन की व्यवस्था होनी चाहिए।
- (viii) प्रस्तावित प्रतिष्ठान में मैन्सू की व्यवस्था होनी चाहिए।

(B) होटल, रेस्तराँ एवं बार की अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित मापदण्ड:-

रेस्तराँ, एवं बार की अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित मापदण्ड के अतिरिक्त निम्न मापदण्ड निर्धारित हैं:-

- (i) होटल में कमरों की न्यूनतम संख्या 10(दस) होनी चाहिए। होटल के प्रत्येक कमरे का क्षेत्रफल कम से कम 100 (सौ) वर्गफीट होनी चाहिए। संबंधित कमरे केवल होटल के उद्देश्य से ही बनाये/तैयार किये गये हो व उनकी दीवार एवं छत सीमेंटीकृत स्थाई होगी (Temporary Partition न हो)।
- (ii) होटल में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
- (iii) होटल में यात्रियों के ठहरने वाले कमरों के अतिरिक्त, एक उपयुक्त विश्रान्तिका (Lounge) भी हो।

(C) क्लब (गैर वाणिज्यिक) (उत्पाद प्रपत्र 7 'क'):-

केन्द्र एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मियों, पर्यटन विभाग द्वारा संचालित रिसॉर्ट, होटल, स्टेट गेस्ट हाउस इत्यादि में अवस्थित बार जो लाभ अर्जित नहीं करने के उद्देश्य से संचालित किये जायेंगे।

10. होटल, रेस्तराँ एवं बार/रेस्तराँ एवं बार की अनुज्ञप्ति हेतु वांछित दस्तावेज

(A) एकल व्यवसाय की स्थिति में वांछित दस्तावेज:-

- (i) आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, स्थानीय पता, फोटो, पहचान पत्र की छायाप्रति (आधार कार्ड/ वोटर कार्ड/पैन कार्ड आदि),
- (ii) आवेदक के पक्ष में अनुमण्डल पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (अधिकतम 6 (छः) माह के पूर्व निर्गत)
- (iii) प्रस्तावित स्थल के संबंध में अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा विधि व्यवस्था संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र
- (iv) प्रस्तावित स्थल का ब्लू प्रिन्ट नक्शा की 03 (तीन) प्रतियाँ (आवेदक, जाँच पदाधिकारी, सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद तथा उपायुक्त स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित)

- (v) अंचल अधिकारी स्तर से निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र
- (vi) आवेदक का विगत 03 (तीन) वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न की प्रति;
- (vii) प्रस्तावित स्थल के संबंध में किरायानामा/भूस्वामित्व संबंधी दस्तावेज
- (viii) GST निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र
- (ix) उत्पाद विभाग से कार्य सम्व्यवहार हेतु प्राधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में घोषणा पत्र
- (x) निम्नांकित बिन्दुओं पर शपथ पत्र
- (क) आवेदक NDPS, Excise Act, Molasses Act तथा IPC के तहत दंडित नहीं किये गये हैं।
- (ख) आवेदक के विरुद्ध राज्य सरकार/किसी अन्य सरकारी प्रतिष्ठान/विभाग के विरुद्ध किसी प्रकार का बकाया लंबित नहीं है।
- (ग) आवेदक प्रतिष्ठान में 21 वर्ष से कम उम्र के कर्मों कार्यरत नहीं होने संबंधी शपथ पत्र।
- (xi) आयुक्त उत्पाद द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले अन्य वांछित अभिलेख;

B. आवेदक, यदि साझेदारी फर्म हो,

- (i) आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, स्थानीय पता, फोटो, पहचान पत्र की छायाप्रति (आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड आदि),
- (ii) आवेदक तथा फर्म सभी साझेदार के पक्ष में अनुमण्डल पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (अधिकतम 6 (छः) माह के पूर्व निर्गत)।
- (iii) प्रस्तावित स्थल के संबंध में अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा विधि व्यवस्था संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- (iv) प्रस्तावित स्थल का ब्लू प्रिन्ट नक्शा की 03 (तीन) प्रतियाँ (आवेदक, जाँच पदाधिकारी, सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद तथा उपायुक्त स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित)।
- (v) साझेदारी फर्म का GST निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र।
- (vi) निबंधित साझेदारी फर्म द्वारा विगत 03 (तीन) वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न एवं सभी साझेदारों का विगत तीन वित्तीय वर्षों का व्यक्तिगत आयकर रिटर्न की प्रति, फर्म का बैलेंस शीट।
- (vii) प्रस्तावित स्थल के संबंध में किरायानामा/भूस्वामित्व संबंधी दस्तावेज।
- (viii) सभी साझेदार की सूची तथा स्थायी पता (पहचान पत्र/दस्तावेज सहित)।
- (ix) उत्पाद विभाग से कार्य सम्व्यवहार हेतु प्राधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में संयुक्त घोषणा पत्र/प्राधिकार पत्र।
- (x) निम्नांकित बिन्दुओं पर शपथ पत्र ।

- (क) आवेदक तथा सभी साझेदार एवं साझेदारी फर्म NDPS, Excise Act, Molasses Act तथा IPC तहत दंडित नहीं किये गये हैं।
- (ख) आवेदक तथा सभी साझेदार एवं साझेदारी फर्म के विरुद्ध राज्य सरकार/किसी अन्य सरकारी प्रतिष्ठान/विभाग के विरुद्ध किसी प्रकार का बकाया लंबित नहीं है।
- (ग) आवेदक प्रतिष्ठान में 21 वर्ष से कम उम्र के कर्मों कार्यरत नहीं होने संबंधी शपथ पत्र।
- (घ) साझेदारी फर्म के काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ पत्र।
- (xi) निबंधित साझेदारी डीड
- (xii) प्रत्येक साझेदार द्वारा रेस्तराँ एवं बार की अनुज्ञप्ति लेने संबंधी संयुक्त घोषणा पत्र।
- (xiii) आयुक्त उत्पाद द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले अन्य वांछित अभिलेख;

C. आवेदक, यदि कम्पनी हो, तो

- (i) आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, स्थानीय पता, फोटो, पहचान पत्र की छायाप्रति (आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड आदि),
- (ii) आवेदक तथा कम्पनी के सभी निदेशक के पक्ष में अनुमण्डल पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (अधिकतम 6 (छः) माह के पूर्व निर्गत)
- (iii) प्रस्तावित स्थल के संबंध में अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा विधि व्यवस्था संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र
- (iv) प्रस्तावित स्थल का ब्लू प्रिन्ट नक्शा की 03 (तीन) प्रतियाँ (आवेदक, जाँच पदाधिकारी, सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद तथा उपायुक्त स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित)
- (v) कम्पनी का GST निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र
- (vi) कम्पनी का विगत 03 (तीन) वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न एवं सभी निदेशकों के DIN No. की प्रति, CA द्वारा निर्गत कम्पनी का बैलेंस शीट (Balance Sheet) एवं लाभ हानि खाता (Profit & Loss Account);
- (vii) प्रस्तावित स्थल के संबंध में किरायानामा/भूस्वामित्व संबंधी दस्तावेज
- (viii) सभी निदेशकों की सूची, स्थायी पता (पहचान पत्र/दस्तावेज सहित) तथा DIN No. ।
- (ix) उत्पाद विभाग से कार्य सम्बन्ध हेतु प्राधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में निदेशक मंडल का निर्णय एवं प्राधिकार पत्र।
- (x) निम्नांकित बिन्दुओं पर शपथ पत्र
- (क) आवेदक तथा कम्पनी NDPS, Excise Act, Molasses Act तथा IPC के तहत दंडित नहीं किये गये हैं।

- (ख) आवेदक तथा कम्पनी के विरुद्ध राज्य सरकार/किसी अन्य सरकारी प्रतिष्ठान/विभाग के विरुद्ध किसी प्रकार का बकाया लंबित नहीं है।
- (ग) आवेदक प्रतिष्ठान में 21 वर्ष से कम उम्र के कर्मों कार्यरत नहीं होने संबंधी शपथ पत्र
- (घ) कम्पनी के काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ पत्र।
- (xi) कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत कम्पनी के निगमन से संबंधित प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation)
- (xii) कम्पनी का मेमोरेण्डम ऑफ एशोसिएशन (Memorandum of Association) एवं आर्टिकल्स ऑफ एशोसिएशन (Articles of Association)
- (xiii) कम्पनी की अवस्थिति के संबंध में प्रपत्र 18 की प्रति;
- (xiv) कम्पनी के निदेशकों के संबंध में प्रपत्र 29 एवं 32 की प्रति;
- (xv) कम्पनी का पैन कार्ड एवं कम्पनी के सभी निदेशकों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र;
- (xvi) प्रस्तावित स्थल पर बार के अनुज्ञप्ति प्राप्त करने संबंधी निदेशक मंडल की प्रति।
- (xvii) आयुक्त उत्पाद द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले अन्य वांछित अभिलेख;

अस्थायी बार

11. अस्थायी/ Occasional Bar की अनुज्ञप्ति हेतु निम्नलिखित शुल्क एवं शर्तें निर्धारित की जाती हैं:-

(i)

क्र०	अस्थायी/ Occasional Bar के लिए स्थल	एक वित्तीय वर्ष में किसी स्थल विशेष पर अस्थायी/ Occasional Bar, स्वीकृत किये जाने की संख्या	राशि
1	मनोरंजन स्थल, वाणिज्यिक संस्थाओं यथा क्लब, मैरेज हॉल, होटल, रेस्तराँ, रिसोर्ट, फार्म हाउस, बारात घर, निजी घर इत्यादि में	10 बार तक (10 Times)	रु० 10000/- (दस हजार रुपये) प्रतिदिन
2	तदैव	10 बार से अधिक (Above 10 times)	रु० 25000/- (पच्चीस हजार रुपये) प्रतिदिन

- (ii) अस्थायी/ Occasional Bar की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन, आयोजन की तिथि से कम-से-कम चार दिन पूर्व वांछित शुल्क के साथ समर्पित किया जाना चाहिए, ताकि आवेदन में अंकित स्थल की जाँच उत्पाद पदाधिकारियों के द्वारा करायी जा सके एवं तदनुसार प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुज्ञप्ति निर्गत करने पर विचार किया जाय। अस्थायी बार की अनुज्ञप्ति देने अथवा नहीं देने के संबंध में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

- (iii) अस्थायी/Occasional Bar हेतु मदिरा का क्रय उस जिला में अवस्थित दुकान से ही किया जाना अनिवार्य है, ताकि राज्य सरकार को राजस्व की क्षति नहीं हो। अन्य स्थलों से लायी गई Non Duty Paid शराब को इन अस्थायी/Occasional Bar में परोसा नहीं जायेगा। अन्य राज्यों में बिक्री की मदिरा अथवा Non Duty Paid मदिरा पाये जाने पर इसे अवैध माना जायेगा एवं तदनुसार कार्रवाई की जायेगी। **“झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022”** में वर्णित अधिकतम क्रय सीमा से संबंधित बंधेज अस्थायी एवं Occasional Bar के लिए लागू नहीं होंगे।
- (iv) अस्थायी एवं Occasional Bar की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न किये जायेंगे:-
- (क) आयोजक द्वारा स्वहस्ताक्षरित आवेदन पत्र, जिसमें आयोजन की तिथि, उद्देश्य एवं स्थान का स्पष्ट ब्यौरा अंकित हो।
- (ख) आवेदक का पहचान पत्र।
- (ग) आवेदक का स्थायी पता से संबंधित प्रमाण पत्र/कागजात।
- (घ) आयोजन के समय में आयोजन स्थल पर किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होने संबंधित शपथ पत्र।
- (ङ) दुकान/दुकानों का नाम, जिससे मदिरा का क्रय किया जायेगा।
- (च) वांछित अनुज्ञप्ति शुल्क का चालान अथवा ऑनलाइन विधि से सरकारी कोषागार में जमा की गई राशि का प्रमाण।

सामान्य:-

12. ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार उपरोक्त अनुज्ञप्तिधारी प्रतिष्ठान में मदिरा का उपभोग किये जाने के उपरांत खाली हुये कार्टन/मोनोकार्टन/बोतल/ढक्कनों को विनष्ट कर उसे हटाने की जिम्मेवारी अनुज्ञाधारी की होगी।
13. इस नियमावली के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के तहत बने नियमों, आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।
14. **“झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली 2022”** में प्रयुक्त शब्द अथवा नियम के व्याख्या में संशय होने पर आयुक्त उत्पाद के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा। इस संबंध में आयुक्त उत्पाद का निर्णय अन्तिम होगा। इस नियमावली के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन और राजस्व/प्रशासनिक/व्यावसायिक हितों की सुगमता हेतु आयुक्त उत्पाद निर्देश जारी करने तथा निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

15. इस नियमावली के पूर्ण रूप से प्रवृत्त करने के निमित्त आयुक्त उत्पाद, जिसे वे उचित समझे निदेश/आदेश/प्रपत्र/विहित फार्म जारी कर सकेंगे, परंतु ऐसा कोई निदेश/आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा, जो इस नियमावली के विपरीत हो।
16. निरसन-उपरोक्त सभी प्रकार के अनुज्ञप्ति से संबंधित सभी पूर्व निर्गत नियमावली/अनुदेश/ अधिसूचना इस नियमावली के लागू होने की तिथि से निरसित हो जायेगी और सभी उपरोक्त अनुज्ञप्ति इस नियमावली अथवा इस नियमावली के अधीन निर्गत सभी आदेश/अनुदेश/अधिसूचना की अधीन हो जायेगी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।
